



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-29062020-220245
CG-CG-E-29062020-220245

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1884]
No.1884]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ 8, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942

jy e=ky ;

%nf{k.k iol e/ ; jYko] fcykl ij½

vf/klipuk

fcykl ij, 17 मार्च, 2020

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

का.आ. 2129(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 किमी) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवम उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ को जिलाधीश कार्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई

करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में नई लाइन- विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 किमी) के लिए अधिग्रहण किये जाने के लिये संरचना के सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

अ. खरसिया से धरमजयगढ़ 0- 74 कि.मी. (पूरक-V)

ग्राम: कुडुमकेला, तहसील: घरघोड़ा, जिला: रायगढ़

जिला का नाम: रायगढ़			
तालुका: घरघोड़ा			
क्रमांक	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुडुमकेला	1691/2/क	0.052
		1631/3/क	0.016
		61/28/क	0.283
		1098/1	0.340
		1569/2घ	0.081
योग			0.772

ग्राम: पुरी, तहसील: घरघोड़ा, जिला: रायगढ़

जिला का नाम: रायगढ़			
तालुका: घरघोड़ा			
क्रमांक	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	पुरी	1/34	0.152
योग			0.152

महायोग:- 0.924 हेक्टेयर

[फा.सं. सी.ए.ओ./सि/वी.एस.पी./ईस्ट रेल कॉरिडोर]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway, Bilaspur)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 17th March, 2020

Notice under Section 20A of the Railways Act 1989

S.O. 2129(E).— In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989(24 of 89)(hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Donga Mahua (104 KM), in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said Act;

Every objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector, Raigarh, Collectorate Office, Raigarh, Chhattisgarh in writing, and shall set out grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Dongamahua (104 KM) in the State of Chhattisgarh.

A. Kharsia to Dharamjaygarh 0-74 Km. (Supplymentary-V)**Village: Kudumkela, Tehsil : Gharghoda, Dist.-Raigarh**

Name of District: Raigarh			
Taluka: Gharghoda			
Sl. No.	Village Name	Khasra/Plot Number	Area (in Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kudumkela	1691/2/ka	0.052
		1631/3/ka	0.016
		61/28/ka	0.283
		1098/1	0.340
		1569/2gh	0.081
Total			0.772

Village: Puri, Tehsil : Gharghoda, Dist.-Raigarh

Name of District: Raigarh			
Taluka: Gharghoda			
Sl. No.	Village Name	Khasra/Plot Number	Area (in Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Puri	1/34	0.152
Total			0.152

Grand Total :- 0.924 Hect.

[F. No. CAO/C/BSP/East Rail Corridor]

R.N. SUNKAR, Chief Administrative Officer(Con.)